

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/22827/2016/ 2109
प्रेषक :-

भोपाल, दिनांक 07/07/2020

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन,
लिनक रोड़ नं.-3, ई-5, रविशंकर नगर,
मध्य प्रदेश।

विषय:-वन मंडल, सतना के परिक्षेत्र सतना के ग्राम सतरी के वन कक्ष क्र. RF-(Old 690)
New-776 के रकबा 37.00 हेक्टेयर वनभूमि में चुना पत्थर खनिज ओपन कास्ट पद्धति
से उत्खनन कार्य हेतु आवेदक श्री श्रवण कुमार पाठक, सतना को उपयोग पर देने
बाबत।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक/6-REC 10/2014-BHO/Part-II/418 Dated 27/05/2020

—0—

महोदय,

इस प्रस्ताव पर दिनांक 27/05/2020 को आयोजित आर.ई.सी. बैठक में चर्चा हुई
थी। बैठक में इस प्रस्ताव के संबंध में निम्नानुसार 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है:-

- Certified copy of original forest block map of P-801, because 6 ha of proposed CA land falls in Forest Compartment No. P-801.
- Certified copy of original master sheet of Land Record, Revenue Department for proposed CA land.
- Certified copy of digitized khasras for proposed CA land from 1955 to till date.

आपके द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- इस संबंध में लेख है कि प्रस्ताव में आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि सतना वन मंडल के नारो वनखण्ड से लगी हुई है। इस वनखण्ड का कुल रकबा 13129 एकड़ है। इस वनखण्ड का मानचित्र परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त इस वनखण्ड के मानचित्र में आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि को अंकित कर दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-2 में संलग्न है।

- b. आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि ग्राम महेबा तथा खेरिया में आती है। इन दोनों ग्रामों के नक्शे की प्रति संलग्न है। पृष्ठ -3, 4
- c. आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि ग्राम महेबा तथा खेरिया में आती है जिनकी वर्ष 1963-64 से खसरा नकल आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई है जो संलग्न अभिलेखों में पृष्ठ 3 से 91 तक अंकित है।

वनमण्डलाधिकारी, सतना द्वारा पत्र क्रमांक/6006 दिनांक 04.07.2020 से यह अवगत कराया है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्राम महेबा तथा खेरिया में उपलब्ध कराई गई भूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम हो चुका है तथा यह भूमि वन विभाग के अधिपत्य में है। इस भूमि के जियोरिफरेंस मैप को वनमण्डलाधिकारी, सतना द्वारा सत्यापित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।


यहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा भाग-1 में प्रकरण में उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वनभूमि की KML फाईल को संशोधित कर अपलोड किया गया है। इसी फाईल के नीचे पूर्व में आवेदक संस्था द्वारा अपलोड की गई KML फाईल 0 हेक्टेयर में दर्शित है।

अतः प्रकरण में समस्त जानकारियां आवेदक/वनमण्डलाधिकारी, सतना द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है।

संलग्न:-1. वनमण्डलाधिकारी, सतना का पत्र दि. 04.07.2020 (2 पेज)

2. परिशिष्ट-1 से 4
3. खसरा नकल (पृष्ठ-3 से 91 तक)


भवदीय


07/07/2020
(सुनील अग्रवाल)

पृ0 क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/22827/2016/ 2110
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07/07/2020

1. मुख्य वन संरक्षक रींवा वृत्त रींवा, मध्यप्रदेश।
 2. वन मंडल अधिकारी (सामान्य) वन मंडल, सतना मध्यप्रदेश।
 3. श्री श्रवण कुमार पाठक, सिमरिया चौक, चाणक्यपुरी, सतना मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


07/07/2020
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल